न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 55/2020

1. बर्फी देवी पत्नी मूलचन्द
2. कालूराम पुत्र मूलचन्द
3. सतीश पुत्र मूलचन्द
4. अजय पुत्र मूलचन्द
5. धोली देवी पुत्री मूलचन्द
6. रामकरण पुत्र सरदारा
7. जगदीश पुत्र सरदारा

समस्त वयस्क जाति जाट निवासी केरली तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

अपीलार्थीगण

बनाम

1. सुरजी देवी पत्नी धूडाराम
2. ग्यारसी देवी पत्नी फूलाराम
3. सरती देवी पत्नी शिम्भूदयाल
4. मंजू देवी पत्नी घनश्याम
5. सजना देवी पत्नी महेन्द्र

   समस्त वयस्क जाति जाट निवासी केरली तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)
6. अर्जित सोलंकी पुत्र राजेश कुमार सोलंकी निवासी फ्लेट नम्बर 701 जागरण अपार्टमेन्ट प्लाट नं. 17 सेक्टर 22 नई दिल्ली
7. यूको बैंक शाखा आंतेला जरिये शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा आंतेला तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)
8. तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 09/5/2016 वाके ग्राम गांधीनगर पटवार हल्का आंतेला तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक 27.7.2021

अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील नामा.सं. 327 दिनांक 09/5/2016 वाके ग्राम गांधीनगर पटवार हल्का आंतेला तहसील विराटनगर के विरूद्व अपील पेश की है। उक्त नामान्तरकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट ने संक्षेप में तथ्य इस प्रकार पेश किये है कि भूमि हाल ख.नं. 3004/0.39, 3005/0.3540 3006/1.3968, 3007/0.7323, 3008/0.7250 कुल किता 5 कुल रकबा 3.5981 हैक्टर वाके ग्राम गांधीनगर पटवार हल्का आंतेला तहसील विराटनगर में स्थित रही है। उक्त आराजी का रेस्पोडेन्ट ने बंटवारा कराने हेतु अपीलान्ट को कहा गया तब अपीलान्ट ने हिस्से अनुसार एवं कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा कराने हेतु सहमति दे दी । अपीलान्ट कम पढा लिखा होने का बेजा फायदा उढाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पुत्र प्रकाश पुत्र फूला ने अपीलान्ट की वास्तविक हिस्से से कम भूमि देकर अपने हिस्से में ज्यादा भूमि बंटवारे में लेकर अपने

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

नाम नामान्तरकरण खुलवा लिया। रेस्पोडेन्ट ने उक्त बंटवारा का नामान्तरकरण खुलवाकर अपीलान्ट के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष दावा ब उनवान सूरजी देवी बनाम जगदीशी वगैरह में अपीलान्ट की भूमि में 3–4 एयर भूमि ओर निकलने बाबत का प्रस्तुत किया। अपीलान्ट को दिनांक 15/8/2020 को धमकी देने पर राजस्व रिकॉर्ड की नकले निकलवायी। उक्त भूमि के सम्बन्ध में वकील से जानकारी करने पर अपीलान्ट को ज्ञात हुआ कि अपने वास्तविक हिस्से से कम भूमि बंटवारे में प्राप्त हुयी है। इस कारण अपील पेश करने का कारण पैदा हुआ है, जो निम्न आधारों पर अपील पेश की है जो निम्नप्रकार हैं :–

1. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति से बंटवारा का नामान्तरकरण अपीलान्ट के वास्तविक हिस्से की गणना किये बिना रेस्पोडेन्ट के प्रभाव में आकर गलत एवं मनमाना बंटवारा किया जाकर नामान्तरकरण तस्दीक किया है, जो वास्तविक तथ्यों से परे है एवं खारिज किया जाना योग्य है।
2. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील विराटनगर ने अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टके वास्तविक हिस्से एवं कब्जे की जानकारी जुटाये बिना ही मनमाना बंटवारा कर नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्त के खिलाफ है। इसलिए नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक करते. समय अपीलान्ट को किसी प्रकार की सूचना नहीं की गयी ना ही अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर प्रदान किया गया, जिससे भी नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 15/5/2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 05 द्वारा अपीलान्ट की भूमि के सुरक्षा हेतु लगाये गये काटेदार तार एवं पीलरों की जगह उखाडने का प्रयास करने एवं अपीलान्ट की भूमि में 3–4 एयर भूमि ओर निकालने की धमकी देने पर पटवारी हल्का से दिनांक 02/9/2020 रिकॉर्ड की नकल निकलायी तथा अपने वकील से राय करने पर बंटवारा गलत होने एवंअपीलान्ट को अपने वास्तविक हिस्से से कम भूमि बंटवारे में दिये जाने की जानकारी होने से अन्दर मियाद अपील पेश की है फिर भी कानूनी एतराज् पूर्ती हेतु दफा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र अलग से पेश करने में हुयी देरी डिले कण्डाने (देरी माफी) की प्रार्थना की है।
4. यह है कि अपील श्रीमान् को सुनने का अधिकार है। उक्त अपील निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश कर निवेदन है कि नामा.सं. 327 दिनांक 09/5/2016 वाके ग्राम गांधीनगर पटवार हल्का आंतेला तहसील विराटनगर को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमावें।
5. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील प्रस्तुत की गयी अपील में रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी, रिपोर्ट समायत पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की नियमानुसार विधि अनुसार रेस्पोडेन्ट की तल्बी करायी गयी, रेस्पोडेन्ट संख्या 01

लगायत 05 की ओर से श्री मदनलाल एडवोकेट उपस्थित आये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 की तल्बी रजिस्टर्ड डाक से होने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं आये। इसलिए उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 05 की ओर से जरिये वकील जवाब पेश हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सह खातेदारान् की उपस्थिती एवं सहमति पर बाद सुनवायी नियमानुसार प्रकिया अपनाकर उक्त बंटवारा आदेश पारित किया है तथा उसके आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया है। अपीलार्थी का यह कथन कतई गलत है कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के प्रभाव में आकर गलत एवं मनमाना बंटवारा व नामान्तरकरण तस्दीक कराया है। अपीलार्थी एवं आराजी के अन्य सह खातेदारान् अधिनस्थ न्यायालय के सामने उपस्थित होकर लिखित में बंटवारा पत्र प्रस्तुत किया है बाद जांच कर आदेश पारित किये है। उक्तआदेश किसी भी प्रकार से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत नहीं हुआ है। अपीलार्थीगण् को शुरू से ही बंटवारा आदेश व नामान्तरकरण की जानकारी रही है, जो बंटवारा व नामान्तरकरण आदेश विधि सम्मत है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 02/9/2020 को बंटवारा एवं नामा0 की नकल निकलवाने पर जानकारी होना अवगत कराया है। उक्त तथ्यगलत एवं मनघडन्त जवाब में अंकित किये है, जबकि अपीलार्थीगण् को दिनांक 09/5/2016 से ही जानकारी रही है। निर्धारित समयावधि 30 दिवस में अपील पेश नहीं की है। इसलिए अपीलार्थी की अपील मियाद बहार होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलार्थी द्वारा गलत एवं मनघडन्त तथ्य पेश कर प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम दफा–5 पेश किया है। इस कारण अपीलार्थी देरी माफी के लिए अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत किया गया जवाब में प्रश्नगत नामा0 में राजू पुत्र सरदारा भी पक्षकार रहा है, जिसको पक्षकार बनाये बिना अपील प्रस्तुत की है। इस कारण प्रस्तुत अपील पोषणीयता के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की प्रस्तुत की गयी अपील हर्जा–खर्चा खारिज फरमावें।

7. बहस वकील अपीलान्ट की सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया कि प्रश्नगत आराजी ख.नं. 3004/0.39, 3005/0.3540, 3006/1.3968, 3007/0.7323, 3008/0.72250 कुल किता 5 रकबा 3.5981 वाके ग्राम गांधीनगर पटवार हल्का आंतेला तहसील विराटनगर में स्थित है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट से रजामंदी से बंटवारे की बात कही जाकर हिस्से एवं कब्जा काश्त के अनुसार बंटवारा कराने के लिए आपसी सहमति हुयी थी। अपीलान्ट कम पढा लिखा एवं रिकॉर्ड के बारे में कम समझने का फायदा उठा कर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पुत्र प्रकाश पुत्र फूला द्वारा अपीलान्ट को उनके वास्तविक हिस्से की भूमि से कम भूमि बंटवारे में देकर स्वयं के हिस्से में अधिक भूमि बंटवारे में लेकर

अति. जिला कल
कोटपूतली (ज

नामान्तरकरण खुलवा लिया। उक्त नामान्तरकरण खुलवाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष दावा व उनवानी सूरजी देवी बनाम जगदीश पेश किया एवं अपीलान्ट की भूमि की सुरक्षा में लगाये गये कांटेदार तारों को उखाड़ने तथा अपीलान्ट की भूमि में 3–4 एयर भूमि ओर निकलने बाबत दिनांक 15/8/2020 को धमकी दी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपनी भूमि के सम्बन्ध में वकील से जानकारी करने पर अपीलान्ट को उनके वास्तविक हिस्से से कम भूमि बंटवारे में आयी इस कारण अपील पेश करने का कारण पैदा हुआ। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति से बटंवारे का नामान्तरकरण तस्दीक करने एवं सहमति का बंटवारा करने में अपीलान्ट ने वास्तविक हिस्से की बिना गणना किये रेस्पोडेन्ट के प्रभाव में आकर गलत एवं मनमानी तरिके से बंटवारा किया जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो खारिज योग्य है. जबकि अधिनस्थ न्यायालय को उक्त नामान्तरकरण को तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के वास्तविक हिस्से एवं कब्जे की जानकारी करनी चाहिए थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमानी तरिके से किया गया बंटवारा कर नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्त के खिलाफ है। उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करते समय अपीलान्ट को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी ना ही अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर प्रदान किया। इसलिए उक्त नामान्तरकरण खारिज योग्य है। अपीलान्ट ने अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु पीलरों को रेस्पोडेन्ट द्वारा जबरन उखाड़ने एवं अपीलान्ट की भूमि में 3–4 एयर भूमि ओर निकलने की धमकी देने पर अपीलान्ट द्वारा पटवारी हल्का से रिकॉर्ड की नकल 02/9/2020 को निकलवाने एवं वकील से राय करने पर बंटवारा गलत होने की जानकारी हुयी। अपीलान्ट को उनके वास्तविक हिस्से से कम भूमि बंटवारे में दी जाने की जानकारी होने पर अन्दर मियाद अपील पेश की है। अपील पेश करने में हुयी देरी एतराज् पुर्ती हेतु दफा–5 प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम पेश किया। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा में वास्तविक हिस्सा एवं कब्जे की जानकारी जुटाये बिना नामा.सं. 327 दिनांक 09/5/2016 वाके ग्राम गांधीनगर पटवार हल्का आंतेला तहसील विराटनगर स्वीकार किया है उसे निरस्त किया जावें।

8. वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 05 के वकील द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सह खातेदारान् की उपस्थिति एवं सहमती पर बाद सुनवायी कर नियमानुसार उक्त बंटारे के आदेश पारित किये है। सह खातेदारान् द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष लिखित में बंटवारापत्र प्रस्तुत किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बंटवारा एवं नामा0 आदेश विधि सम्मत है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 02/9/2020 को बंटवारा एवं नामान्तरकरण की जानकारी होना बताया है तो मनघडन्त तथ्य पेश किये है, जबकि अपीलान्ट को दिनांक 09/5/2016 से ही जानकारी रही है। निर्धारित समयावधि 30 में अपील पेश नहीं की है। इसलिए अपील मियाद बहार पेश की है जो चलने योग्य नहीं है।

इसके अलावा प्रश्नगत नामान्तरकरण में राजू पुत्र सरदारा भी पक्षकार रहा है, जिसको अपील में पक्षकार नहीं बनाया है बिना पक्षकार बनाये अपील पोषणीयता के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील खारिज फरमावें।

9. वकील उभयपक्ष बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजातों का अवलोकन किया तथा वकील उभय पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस पर मनन किया गया तो पाया कि प्रश्नगत आराजीयात् वाके ग्राम गांधीनगर पटवार हल्का आंतेला तहसील विराटनगर (जयपुर) का नामा0सं0 327 द्वारा तहसीलदार तहसील विराटनगर दिनांक 09/5/2016 को सहमति बंटवारा का स्वीकार होना पाया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक हिस्सा एवं कब्जा सम्बनधी जानकारी किये बिना अपीलार्थी को सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना उक्त नामा0 स्वीकार कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है। अपीलान्ट के बंटवारे में आयी भूमि उनके वास्तविक हिस्से से कम है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पुत्र द्वारा अपीलान्ट रिकॉर्ड की कम जानकारी रखने का बेजा-फायदा उठाकर उक्त नामा0 स्वीकार कराया है। उक्त नामा0 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के उपरान्त अपीलान्ट की भूमि में लगाये गये पीलरों के कांटेदार तार तोडकर धमकी दी जा रही है कि रेस्पोडेन्ट की प्रश्नगत भूमि में 3–4 एयर भूमि ओर निकलती है जिसकी नकल लेने पर अपीलान्ट को उनके वास्तविक हिस्से एवं कब्जे की भूमि कम प्राप्त होने की दिनांक 02/9/2020 को जानकारी हुयी है, जो अन्दर मियाद अपील पेश की है। इसलिए अपील ~~खारिज~~ स्वीकार फरमावें।

वकील रेस्पोडेन्ट का प्रस्तुत बहस में अभिकथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सह खातेदारों की उपस्थिति एवं सहमति से लिखित बटवारा प्रस्तुत किया है जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बंटवारा नामान्तरकरण विधि संगत पारित किया है । वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट को बंटवारा नामानतरकरण की जानकारी 02/9/2020 को होना बताया है जो गलत एवं मनघडन्त है, जबकि अपीलानट को दिनांक 09/5/2016 से ही जानकारी रही है। इसलिए दुरूस्त की गयी अपील मियाद बहार पेश की है जो खारिज योग्य है तथा उक्त नामान्तरकरण में राजू पुत्र सरदारा भी पक्षकार है उनको भी पक्षकार नहीं बनाया गया। इसलिए उक्त अपील पोषणीय नहीं है। इस प्रकार उक्त अपील मियाद बहार पेश की है तथा नामा0 में सभी खातेदारान् को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए उक्त अपील चलने योग्य नहीं है जो खारिज फरमावें।

चूँकि उक्त नामान्तरकरण प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित बंटवारा का स्वीकार होना पाया जाता है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में जाहिर किया है कि अपीलान्ट की बंटवारे में आयी भूमि उनके वास्तविक हिस्से एवं कब्जे की भूमि से कम भूमि आयी है। अधीनस्थ न्यायालय को बंटवारा पत्र में वर्णित भूमि की गणना

अति. जिला
कोटपुतली

सही होने पर ही तस्दीक करना चाहिए था तथा पक्षकारान् को सुना जाकर बंटवारा का नामा0 खोला जाना चाहिए था। उक्त बंटवारा एव नामान्तरकरण बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के यहां ब उनवानी सुरजी देवी बनाम सरकार वगैरह प्रकरण संख्या 90/2020 बाबत पत्थरगढी का जिसका निर्णय 04/02/2021 को पारित हुआ है एवं दावा संख्या 73/2020 ब उनवान सुरजी देवी बनाम जगदीश वगैरह स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन है। इससे स्पष्ट होता है कि पक्षकारान् के मध्य बंटवारा सही गणना अनुसार नहीं हुआ है। इसलिए उक्त नामा0सं0 327 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को प्रकरण प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10 अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित नामा0सं0 327 वाके ग्राम गांधीनगर पटवार हल्का आंतेला स्वीकार द्वारा तहसीलदार विराटनगर दिनांक 09/5/2016 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार विराटनगर को प्रकरण प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर आदेश किये जाते है कि भारतीय राष्ट्रमार्ग के पक्ष में आयी भूमि को छोडते हुए उभय पक्षकारान् को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि संगत निर्णय पारित कर पक्षकारान् का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने की कार्यवाही करें।

11. निर्णय आज दिनांक 27.7.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)